न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री धारा (आर.ए.एस)
वाद पत्र कमांकः— 82/2022

दीपकसिंह पुत्र बृजपाल सिंह जाति जाट निवासी सहना तहसील उच्चैन जिला भरतपुर। .....वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
2. पुष्पेन्द्र
3. विजेन्द्र
4. विजयसिंह पुत्रान बृजपाल सिंह जाति जाट निवासी सहना।

..... प्रतिवादीगण

वादपत्र अर्न्तगत धारा 88,89 आर.टी.ए.

उपस्थितिः—

1. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट वादी

निर्णय **दिनांकः—04.11.2025**

वादी ने यह वाद पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि हम वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगा0 4 की सहखातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 227/0.07, 229/0.01, 231/0.08, 233/0.07, 249/0.09, 250/0.10, 199/0.34, 200/0.29, 215/0.10, 217/0.03, 220/0.04 वाके ग्राम अंधियारी में स्थित है। उक्त विवादित आराजी में वादी का नाम सहबन से दीपू गलत दर्ज हो गया है जबकि मुझ वादी का सही नाम दीपक सिंह है तथा राजस्व जमाबन्दी में मुझ वादी का नाम दीपू एवं मुझ वादी के शैक्षणिक दस्ताबेज आधार कार्ड एवं परिचय पत्र मूल निवास आदि में वादी का नाम दीपक सिंह दर्ज है जबकि दीपू एवं दीपक सिंह दोनों ही नाम मुझ वादी के ही है गांव के लोग मुझे प्यार से दीपू कहते है तथा मेरे समस्त पहचान दस्तावेजात में नाम दीपक सिंह है। पहचान दस्तावेजों एवं राजस्व रिकार्ड में भिन्न भिन्न नाम होने के कारण मुझ वादी को किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिल पाता है और ना ही वादी अपनी खातेदारी की आराजी को रहन रख केसीसी कार्ड बनबा पा रहा है। वादी दिनांक 2.06.2022 को जब अपनी उक्त आराजी भूमि को बैंक में रहन रख केसीसी बनबाने गया तो शाखा प्रबन्धक ने जमाबन्दी में सही नाम दर्ज कराने के लिये कहा। जब वादी अपने पहचान दस्ताबेजों के आधार पर जमाबन्दी में नाम सही कराने हेतु तहसीलदार उच्चैन के पास गया तो उनके द्वारा सक्षम न्यायालय से आदेश लाने के लिये कहा जिसके कारण वादी ने यह वाद पत्र इस न्यायालय में पेश किया है।

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

Scanned by CamScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 लगा0 4 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर इकबाल जबाव दावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार उच्चैन के द्वारा जबाव पेश कर निवेदन किया कि बाके ग्राम अंधियारी की जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 में खाता संख्या 379, 72 में वादीगण का नाम समस्त दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, मार्कशीट प्रमाण पत्र में दीपकसिंह लिखा हुआ है। परन्तू राजस्व रिकार्ड में सहवन से इनका मुँहबोला नाम दीपू दर्ज हो गया है। मुताबिक पटवार रिपोर्ट दीपसिंह का मुँहबोला नाम दीपू है।

मेरे द्वारा अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादी के समस्त पहचान दस्तावेजों में वादी का सही नाम दीपक सिंह दर्ज है जबकि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 में खाता संख्या 379,72 में वादी का मुँहबोला नाम दीपू सहबन से दर्ज हो गया है जिसके कारण वादी अपने समस्त खातेदारी अधिकारों का उपयोग नहीं कर पा रहा है। राजस्व रिकार्ड में वादी का सही नाम दीपू के स्थान पर दीपक सिंह दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरपंच ग्राम पंचायत सहना द्वारा दिनांक 06.08.2023 को जारी किया गया प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, माध्यमिक परीक्षा 2014 की अंक तालिका का अवलोकन किया गया। तहसीलदार उच्चैन के द्वारा प्राप्त जबाव का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के समस्त पहचान दस्तावेजों में प्रार्थी/वादी का नाम दीपक सिंह अंकित है एवं तहसीलदार उच्चैन से प्राप्त जबाव दिनांक 26.05.2025 एवं सरपंच ग्राम पंचायत सहना द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 06.08.2023 की रिपोर्ट अनुसार दीपक सिंह एवं दीपू एक ही व्यक्ति है। वादी के वाद पत्र के समर्थन में स्वंय वादी, चन्द्रपाल सिंह एवं सरदार के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गये है। वादी का उक्त वाद पत्र डिकी किये जाने योग्य है।

अतः आदेश हैः–

वादपत्र वादी डिकी किया जाता है। तहसीलदार उच्चैन को आदेश दिया जाता है कि विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 में खाता संख्या 379,72 के खसरा नम्बर 227/0.07, 229/0.01, 231/0.08, 233/0.07, 249/0.09, 250/0.10, 199/0.34, 200/0.29, 215/0.10, 217/0.03, 220/0.04 वाके ग्राम अंधियारी तहसील उच्चैन में वादी का गलत नाम दीपू को कलमजन कर वादी का सही नाम दीपक सिंह राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावें। पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 04.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

धारा (आर0ए0एस0)
सहायक कलक्टर
उच्चैन भरतपुर

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

Scanned by CamScanner

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Gode, Appendix D-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम उच्चैन

व इजलास सुश्री चारवी (R.A.S.)

दीपकसिंह बनाम राजस्थान सरकार

दावा बाबत् धारा 88, 89 RTA

मुकदमा नं. 82/2022 सन् 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसालं कतई रू–ब–रू हमारे

व हाजरी श्री चन्द्रिक चौधरी एड० मिनजानिब ....

.... मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाता है कि वादपत्र वादी डिक्री किया जाता है। तहसीलदार उच्चैन को आदेश दिया जाता है कि विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2075–78 के खाता संख्या 379, 72 के खसरा नम्बर 227/0.07, 229/0.01, 231/0.08, 233/0.07, 249/0.09, 250/0.10, 199/0.34, 200/0.29, 215/0.10, 217/0.03, 220/0.04 वाके ग्राम अंधियारी तह० उच्चैन में वादी का गलत नाम दीपू को कलमजद कर वादी का सही नाम दीपक सिंह राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावे।

आज .... मुबलिग .... बाबत् ....

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख बसूलयावी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04 माह 11 वर्ष 2025

को जारी की गई।

दस्तखत [signature]

ओहदा सहायक कलक्टर उच्चैन (भरतपुर)

मुहर

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुद्दालय	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील)पर........		
महनताना वकील)पर........			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बावत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्मनामा					
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री धारा (आर.ए.एस)
वाद पत्र कमांकः— 82/2022

दीपकसिंह पुत्र बृजपाल सिंह जाति जाट निवासी सहना तहसील उच्चैन जिला भरतपुर। .....वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
2. पुष्पेन्द्र
3. विजेन्द्र
4. विजयसिंह पुत्रान बृजपाल सिंह जाति जाट निवासी सहना।

..... प्रतिवादीगण

वादपत्र अर्न्तगत धारा 88,89 आर.टी.ए.

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

Scanned by CamScanner